

14¹²/20
mat
post
1

पत्रावली बेशुद्ध है। वकील शर्मा
उपस्थित। वकील शर्मा द्वारा निवेदन
किया कि शर्मा प्रकरण में आगे कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। अतः प्रस्तुत प्रार्थना Not
press में खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया
गया। शर्मा अपना प्रार्थना Not press
में खारिज करवाना चाहते हैं। अतः प्रकरण
Not press में खारिज किया जा रहा है।
पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
पिपरा, जिला मन्सावाड़ (राज०)